सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 737 राँची, गुरुवार, 17 भाद्र, 1938 (श०) / 8 सितम्बर, 2016 (ई०)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त, 2016

संख्या-04/वि०स०-1002/2016-3656-- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, लातेहार अंतर्गत चापाकल योजना के निविदा के आमंत्रण एवं निष्पादन में अनियमितता बरतने का मामला तथा अन्य विभागीय कार्यों में अनियमितता तथा शिथिलता विभाग के संज्ञान में आया । इस क्रम में विभिन्न स्तरों पर तथ्यों का सत्यापन किया गया ।

2. प्राप्त पत्र में वर्णित तथ्यों के विरूद्ध श्री अवधेश पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर से क्रमशः विभागीय पत्रांक-2784 दिनांक 10 जुलाई, 2015 एवं पत्रांक-961, दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तथा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर पूरे मामले की समीक्षा सक्षम स्तर पर किया गया एवं पाया गया कि अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा के शर्तों का उल्लंघन कर कार्य आवंटन किया गया तथा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया ।

3. उपरोक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध श्री अवधेश पाण्डेय, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर को विभागीय अधिसूचना संख्या- 1226 दिनांक 12 मार्च, 2016 द्वारा निलंबित करते हुये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

4. जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत उनके पत्रांक 49 दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया जिसमें श्री पाण्डेय के विरूद्ध

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मेदिनीनगर में निविदा निष्पादन में अनियमितता बरतते हुए निविदा शर्तों के विरूद्ध कार्य करने, पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने, विभागीय कार्यों की डवदपजवतपदह अधीनस्थ कार्यालयों की नहीं करते हुए, सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किये गये हैं ।

5. कंडिका 4 में प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 2729 दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा श्री पाण्डेय से द्वितीय कारणपृच्छा की गयी ।

6. श्री पाण्डेय के पत्रांक 14(पी०) दिनांक 4 जुलाई, 2016 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा असंतोषजनक पाया गया ।

7. समीक्षोपरान्त पूरे मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु उन्हें निलंबन मुक्त करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के भाग-ट नियम-14(अप) में अभिलिखित 3 (तीन) वेतन वृद्धि संयचात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित कर सेवानिवृत्ति तक अकार्य कोटि में पदस्थापित रखने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते हैं:-

(क) श्री अवधेश पाण्डेय, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर सम्प्रति निलंबित, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग रांची प्रक्षेत्र रांची को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है ।

(ख) श्री पाण्डेय को निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा ।

(ग) श्री पाण्डेय की तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक रूप से रोकी जाती है ।

(घ) श्री पाण्डेय को सेवानिवृत्ति तक अकार्य कोटि में पदस्थापित रहेंगें ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभय नन्दन अम्बष्ठ,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 737 –50 ।